

ATED
JMER
Dated

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभाग

क्रमांक : प.6(4)वित्त/नियम/2006 पार्ट-4

जयपुर, दिनांक : 13. 7. 2006

आदेश

विषय: राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 -
Angioplasty पर व्यय होने वाली राशि के पुनर्भरण हेतु शिथिलीकरण के संबंध में।

राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 में सरकारी कर्मचारी द्वारा कराये गये ऑपरेशन इत्यादि के दौरान Angioplasty पर होने वाले व्यय के पुनर्भरण का प्रावधान नहीं है। इस कारण से राज्य सरकार के पास ऐसी प्रकरणों में व्यय राशि के पुनर्भरण हेतु शिथिलीकरण के प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं एवं सनी प्रकरणों में शिथिलीकरण प्रदान कर एक वित्तीय सीमा तक पुनर्भरण की सहमति प्रदान की जाती रही है।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सामान्य शिथिलीकरण कर आदेश देती है कि प्राधिकृत चिकित्सक के परामर्श पर उपचार के दौरान राज्य के सरकारी अस्पताल अथवा वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित अस्पतालों में उपचार के दौरान रोगी के शरीर में Angioplasty किये जाने पर व्यय की गई राशि राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 के अन्तर्गत रुपये 35,000/- (पैंतीस हजार रुपये) की सीमा तक पुनर्भरण योग्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से.

(Handwritten Signature)
[सुभाष गंग]

सारजन सचिव - तृतीय, वित्त



AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
HATHI BHATA, CITY POWER HOUSE, AJMER

No. AVVNL/CAO /AAO (F & R) F.M 2/ (10.2311

Dated 18.11.06

ORDER No. 2311

Copy submitted/forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer() AVVNL, _____
2. The Dy. Chief Engineer (RPDC), AVVNL, Jaipur.
3. The Financial Advisor, AVVNL, Ajmer.
4. The Secretary (Admn.), AVVNL, Ajmer.
5. The Superintending Engineer I () AVVNL, _____
6. The Company Secretary, AVVNL, Ajmer.
7. The Addl. Superintendent of Power () AVVNL, Ajmer.
8. The Sr. Accounts Officer () AVVNL, _____
9. The Dy. Controller of Stores, AVVNL, _____
10. The Dy. Director of Personnel, () AVVNL, _____
11. The Accounts Officer () AVVNL, _____
12. The Personnel Officer () AVVNL, _____
13. The Public Relation Officer, () AVVNL, Ajmer.
14. The Assst. Accounts Officer () AVVNL, Ajmer.
15. The P.A. to Managing Director, () Jaipur.

By Order,

(Signature)

MANUALLY
